न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्याः–104/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00073)

1. मोहम्मद खुर्शीद पुत्र फूल खॉ, जाति बड़गुजर मुसलमान, निवासी वार्ड नम्बर 13, थाना कोतवाली, जिला सीकर, राजस्थान।

––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सीकर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 26.02.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का विधि पूर्वक परिशीलन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जो काबिले निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पुलिस अधीक्षक, सीकर के द्वारा दिनांक 24.04.2014 को इस्तगासा पेश किया है तथा उक्त इस्तगासा दिनांक 13.02.2012 अर्थात 2 वर्ष पूर्व तैयार किया गया है, जो स्वीकृत तथ्य है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध चल रहे आपराधिक प्रकरण वर्ष 2010 में ही समाप्त हो चुके है तथा उक्त चार वर्ष की अवधि में अपीलार्थी अमन चैन से मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहा है तथा उसके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नही हुआ है जिस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपने अपीलाधीन आदेश में यह भी विवेचना नही की है कि अपीलार्थी से समाज में कैसे और किसको भय व्याप्त है जबकि ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2018 को निर्णय सुरक्षित कर लिया था लेकिन कई दिन व्यतीत हो जाने पर भी निर्णय प्रोनाउन्स नही किया गया, अपीलार्थी द्वारा

न्यायालय में नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 27.03.18 को नकल प्राप्त हुई इस प्रकार अपीलार्थी को दिनांक 21.03.2018 को जानकारी होने पर तत्पचात् नकल प्राप्त करने पर अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया, तथा अपील ज्ञान की तिथि से अन्दर मियाद पेश की गई है जिसमें अपील प्रस्तुति में हुई देरी को क्षमा किया जाकर न्यायिक हित में डिले कण्डोन किया जाना आवश्यक है जिसके लिये अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 को अपास्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध वर्ष 2010 से पूर्व की दर्ज 6 प्रथम सूचना रिपोर्ट को आधार बनाते हुये इस्तगासा प्रस्तुत किया है जबकि अधिनियम के प्रावधानानुसार 6 माह की अवधि में 3 प्रकरण दर्ज होने आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर करते हुऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,